विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **"वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली"** विषयक एक समीक्षा सहित 49 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क ब्याज एवं शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 427.93 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ धनराशि की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ की वसूली कर ली गई है कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2011–12 के ₹ 1,30,869.70 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,45,903.99 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 58,098.36 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 74,835.65 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 57,497.86 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,337.79 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत किये गये 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,305.36 करोड़ की धनराशि के 30,694 प्रस्तर जून 2013 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6.1)

वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों के 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 6,373 मामलों से सम्बन्धित ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण एवं अन्य कमियों के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के मामले स्वीकार किये जिनमें से 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की गई।

(प्रस्तर 1.12.3)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" की समीक्षा एवं विभाग की हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2009 में प्रारम्भ हुये कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त भी नीतियों, नियामों व प्रक्रियाओं को अभी भी विकसित किया जा रहा है, बदलाव प्रबन्धन नियंत्रण पर्याप्त नही हैं और आपदा पूरक एवं सतत व्यवसाय योजना नहीं है।

(प्रस्तर 2.8.7.1, 2.8.7.2)

- करयोग्य माल को लेकर राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के बारे में कोई तंत्र न होने से जब्ती के मामलों में सन्निहित माल के मूल्य में 14,632 मामलों के ₹ 557.67 करोड़ से 30 मामलों के ₹ 1.53 करोड़ तक की गिरावट हुई।

(प्रस्तर 2.8.7.5)

- फार्म 38 (आयात के लिये घोषणा पत्र) के आन लाइन डाउन लोडिंग से राजस्व हानि के जोखिम को बढ़ावा मिला।

(प्रस्तर 2.8.7.6)

- विभाग की सचल दल इकाइयों में अपर्याप्त जनशक्ति, निष्क्रिय नियंत्रण कक्षों एवं उपकरणों की अनुपलब्धता आदि ने प्रवर्तन शाखा की सचल दल इकाइयों के दुर्बल कार्य संचालन में योगदान किया।

(प्रस्तर 2.8.8, 2.8.8.2)

- सचल दल इकाइयों के एक वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक कार्य न करने के परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत आवागमन को खोजा नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.8.8.1)

- अधिनियम का उल्लंघन करके जारी किये गये परिपत्र के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की प्रतिभूति की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.4)

- पंजीकृत व्यापारियों के जब्ती मामलों की निगरानी की कमी से ₹ 39.64 करोड़ की प्रतिभूति की कम वूसली हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.5)

- कर की गलत दर लगाये जाने, कम दर लगाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10)

- प्रवेश कर के विलम्ब से राजकोष में जमा पर ₹ 26.71 करोड़ का ब्याज अप्रभारित था।

(प्रस्तर 2.17.2.1)

- इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत/झूठे दावों की खोज न करने से ₹ 14.99 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उत्क्रमण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं ब्याज का मामला बना।

(प्रस्तर 2.21)

III. राज्य आबकारी

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण में एक रूपता न होने से सरकार को अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 481.20 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.8.7.1)

छीजन की त्रुटिपूर्ण अनुमन्यता के परिणामस्वरूप देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं की ₹ 111.57 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 3.8.7.2)

विभाग द्वारा नियमों का पालन करने में विफल रहने से सरकार को बेसिक अनुज्ञा शुल्क व प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 53.68 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.8.8.1)

मार्च में न्यूनतम प्रतिभूति मात्रा के कम उठान के फलस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.8..3)

शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन से ₹ 736.49 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8.10)

नियमों के उल्लंघन पर प्रतिभूति जमा को जब्त न किये जाने से ₹ 47.74 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

(प्रस्तर 3.8.12)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 तक की अवधि में कम सीटिंग क्षमता ग्रहण किये जाने के कारण छः सभागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 723 वाहनों पर ₹ 16.75 लाख कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 4.9)

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवध में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 3,706 वाहन अधिक भार ढो रहे थे, पर ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.13)

मई 2011 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि में तीन माह से अधिक समर्पित 753 वाहनों के सम्बन्ध में 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 87.55 लाख का कर/अतिरिक्त कर वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.17)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

विकास क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 11.87 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 5.5)

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.6 से 5.10 तक)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

मनोरंजन कर विभाग में चार कार्यालयों के 122 मामलों में ₹ 5.47 लाख के लाइसेन्स फीस की वसूली नहीं हुई और दो कार्यालयों के 13 मामलों में ₹ 5.53 लाख के अनुरक्षण प्रभार को जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.3 एवं 6.4)

22 जिला खनन कार्यालयों में 1,655 ईंट भट्ठा स्वामियों से वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक ₹ 10.22 करोड़ की रायल्टी ब्याज की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 6.5)

अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 तक की अवधि में 13 जिला खनन कार्यालयों के 1,400 ईंट भट्ठा स्वामियों से ईंट के लिये मिट्टी की अवैध निकासी के लिए ₹ 30.75 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.6.1)

जुलाई 2003 से मार्च 2012 के दौरान जिला खनन अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में खनिजों के अनधिकृत उत्खनन पर उत्खनित खनिज के मूल्य ₹ 7.08 करोड़ और ₹ एक लाख के अर्थदण्ड को नहीं वसूला गया।

(प्रस्तर 6.9.1)

अप्रैल 2003 एवं मई 2013 की अवधि के दौरान दो जिला खनन कार्यालयों में बिना खनन योजना के नवीनीकरण कराये खनिज की खुदाई करने के फलस्वरूप ₹ 18.82 करोड़ के खनिज मूल्य की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 6.9.2)

बाट एवं माप विभाग मे तीन मामलों में अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 8.50 लाख की फीस/अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 6.11)